

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 991

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2018/फाल्गुन 4, 1939

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2018/PHALGUNA 4, 1939

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

### सं. 17/2018-केन्द्रीय उत्पाद शल्क

सा.का.नि. 183(ब).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (2क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 के साथ पठित, केन्द्र सरकार यह बात समझती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 127 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना जरूरी है। अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना उन वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी, जो 01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले विनिर्मित किए गए हों और 02 फरवरी, 2018 को या उसके बाद "क्लीयर" किए गए हों।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरय]

रूचि बिष्ट. अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> February, 2018

## No. 17/2018-Central Excise

**G.S.R. 183(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (2A) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 111 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998), the Central Government hereby considers it necessary for the purpose of clarifying the applicability of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2018-Central Excise, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 127 (E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2018, that the said notification shall not apply to the goods manufactured on or before the 1<sup>st</sup> February, 2018 and cleared on or after the 2<sup>nd</sup> February, 2018.

[F. No. 334/04/2018-TRU] RUCHI BIST, Under Secy.

1044 GI/2018 (1)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

## सं. 18/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.िन. 184(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (2क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 के साथ पठित, केन्द्र सरकार यह बात समझती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.िन. 128 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना जरूरी है। अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना उन वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी, जो 01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले विनिर्मित किए गए हों और 02 फरवरी, 2018 को या उसके बाद "क्लीयर" किए गए हों।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू] रूचि बिष्ट, अवर सचिव

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2018

#### No. 18/2018-Central Excise

**G.S.R. 184(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (2A) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 133 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999), the Central Government hereby considers it necessary for the purpose of clarifying the applicability of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2018-Central Excise, dated the 2nd February, 2018, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 128 (E), dated the 2nd February, 2018, that the said notification shall not apply to the goods manufactured on or before the 1st February, 2018 and cleared on or after the 2nd February, 2018.

[F. No. 334/04/2018-TRU] RUCHI BIST, Under Secy.